

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 22 मई, 2021

विषय: दिनांक 24 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 31 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे से दिनांक 24.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक कर्फ्यू लगाए जाने विषयक शासनादेश संख्या 861/2021-सीएक्स-3 दिनांक 15.05.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।


2. उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 24 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 31.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखा जाएगा।

3. उक्त कर्फ्यू की अवधि में कीटनाशक दवाओं की दुकानें तथा कृषि यंत्रों से सम्बन्धित दुकाने खुली रखने की अनुमति होगी।

उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या:- 827/2021-सीएक्स-3, दिनांक 09.05.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासना
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासना
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासना
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिदेशक, अग्निशामन सेवा, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(कुमार प्रशांत)

विशेष सचिव।